गुजरात में विदेशी नागरिक

451. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में रह रहे विदेशी नागरिकों की जिलेवार अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक भारत आए शरणार्थियों की वेशवार अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ग) उनके यहां आने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उन्हें उनके मूल देश में वापस भेजने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि स्थानीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा ऐसे कई विदेशी नागरिकों को राशन कार्ड दिलवा कर, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराकर उन्हें यहां के नागरिक बनाने की साजिश हुई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) (क) इस प्रकार के आंकड़ों को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान किसी शरणार्थी ने भारत में प्रवेश नहीं किया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) और (छ) पात्र व्यक्तियों को जरूरी वितरण मुल्क कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। कुछ अवैध प्रवासियों द्वारा अपनी राष्ट्रीयता संबंधी तथ्यों को छिपाकर राशन कार्ड प्राप्त करने तथा अपने नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने की संभावना को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता।

आतंकवादी गतिविधियों में विदेशी नागरिकों का लिप्त होना

452. प्रो. राम लखन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में और विशेषतया, कश्मीर एवं पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया था ;

(ख) उनमें से पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) कितने विदेशी आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए और बाकी आतंकवादियों के साथ उनके अपराध के लिए किस प्रकार का बर्ताव किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Full Statehood to Delhi

453. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be phased to refer to answer to Starred Question 18 given in the Rajya Sabha on the 7th December, 1994 and state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission had deferred the grant of Plan outlay for 1995-96 on the ground of status of Delhi; and

(b) if so, whether the Status of Delhi has been decided; and if so. the detail* thereof?